बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–01/2022– 120,

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
नालंदा एवं गोपालगंज।

पटना, दिनांक– 15/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों यथा–जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी तथा अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय के संचालनार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल राशि रू० 18,39,500/– (रू० अठारह लाख उनचालीस हजार पाँच सौ) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों यथा–जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–445, दिनांक–07.10.2026 द्वारा विपत्र कोड–11–2225030010003 के तहत विषय शीर्ष–0101–वेतन, 0103–जीवन यापन भत्ता, 0104–मकान किराया भत्ता, 0105–परिवहन भत्ता, 0106–चिकित्सा भत्ता, 1301–कार्यालय व्यय एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–392, दिनांक–06.10.2026 द्वारा विपत्र कोड–11–2225030010003 के तहत 2802–संविदा सेवाएं मद में प्राप्त अधियाचना के आलोक में नीचे दिये गये सारणी के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :–

क्र० सं०	ईकाई का नाम	आवंटित राशि
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, नालंदा		
1.	0101–वेतन	रू० 8,20,000/–
2.	0103–जीवन यापन भत्ता	रू० 5,80,000/–
3.	0104–मकान किराया भत्ता	रू० 90,000/–
4.	0105–परिवहन भत्ता	रू० 30,000/–
5.	0106–चिकित्सा भत्ता	रू० 21,000/–
6.	1301–कार्यालय व्यय	रू० 50,000/–
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, गोपालगंज		
1	2802–संविदा सेवाएं	रू० 2,48,500/–

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण–क्षेत्रीय कार्यालय विषय शीर्ष 0101 वेतन, 0103 जीवन यापन भत्ता 0104 मकान किराया भत्ता, 0105 परिवहन भत्ता 0106 चिकित्सा भत्ता 1301 कार्यालय व्यय एवं 2802 संविदा सेवाएं इकाई, विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–001–0003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

4–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–उक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6–प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

15/10/2026

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–01/2022– 120. पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS 2.0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner